

प्रेस-विज्ञप्तिथाना बरदहबारात मे मार पीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.06.22 को वादी श्री चन्द्रदेव सरोज पुत्र बलई सरोज निवासी ग्राम उबारपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया कि उनका पोता धीरज सरोज पुत्र महेन्द्र उम्र 21 वर्ष बारात गया हुआ था जहां समय करीब 11 बजे रात मे इन्दल पुत्र रामाश्रय ग्राम चौकी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ,आदि 03 नफर द्वारा खाने-पीने की बात को लेकर हमारे पोते को लाठी,डण्डा,हाकी व मुक्को से मारपीट कर घायल कर देना जिससे धीरज सरोज का बेहोश हो जाने एवं , प्राथमिक उपचार हेतु आस-पास के लोगो द्वारा जौनपुर प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाना परन्तु चोटो की गंभीरता को देखते हुए डाक्टर व्दारा बी0एच0यू0 ट्रामा सेन्टर वाराणसी रेफर कर दिया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है, के संबंध मे थानास्थानीय पर मु0अ0स0 168/22 धारा 323/308 भा0द0वि0 बनाम इन्दल पुत्र रामाश्रय ग्राम चौकी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ,आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। इसी क्रम मे -

आज दि0 10.06.22 को उ0नि0 विपिन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभि0 1.इन्दल सरोज पुत्र श्री राम आसरे सरोज 2.करन सरोज पुत्र रामअवतार सरोज 3.श्याम सरोज पुत्र राजदेव सरोज निवासीगण ग्राम बेला पठानपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को ठेकमा बाजार से समय करीब 08.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 – 168/22 धारा 308/323 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- इन्दल पुत्र रामाश्रय ग्राम चौकी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2-श्यामा उर्फ श्याम पुत्र राजदेव

3- करन सरोज पुत्र रामअवतार सरोज निवासीगण ग्राम बेला पठानपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

**पुलिस टीम-**

श्री विपिन कुमार सिंह ( उ0नि0 ) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

कृष्णचन्द ( आरक्षी ) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

## प्रेस नोट

### थाना कन्धरापुर

#### मारपीट का एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी श्री लालमन यादव पुत्र बल्देव ग्राम- देवई रसूलपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने एक तहरीर दिया कि दि०-06-05-2022 को समय करीब 1:50 बजे मैं अपने घर के बरामदे में सोया था कि इतने सन्तोष पुत्र रामलखन, रामलखन पुत्र बल्देव, सम्पति देवी पत्नी रामलखन, पुष्पा देवी स्त्री सन्तोष, प्रकाश पुत्र मगन जो कि मेरे सगे पट्टीदार हैं मुझे माँ बहन की गन्दी-गन्दी गाली देते हुये मेरे बरामदे में आ गये मना कर रहा था कि तुम कहा जा रहे हो कि इतने में रामलखन ने ललकार की मारो साले का आज बच न पाये मैं शोर करता हुआ अपने घर भागा कि उपरोक्त लोगो ने दौड़ा कर घर में घुस मुझे मारे पीटे जिससे काफी चोटे आयी थी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 121/2022 धारा 147/323/308/452/325/504/427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।

आज दि० 10.06.2022 को उ०नि० रामप्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सन्तोष यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी ग्राम देवई रसूलपुर, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ को मन्दुरी तिराहे से समय करीब 09.25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सन्तोष यादव पुत्र रामलखन यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम देवई रसूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग – मु०अ०सं० 121/2022 धारा 147/323/308/452/325/504/427 भादवि।

- आपराधिक इतिहास-
1. मु०अ०सं० 184/20 धारा 366 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज।
  2. मु०अ०सं० 100/2021 धारा 147/308/323/427/452/504 भादवि थाना कन्धरापुर
  3. मु०अ०सं० 121/2022 धारा 147/323/308/452/325/504/427 भादवि थाना कन्धरापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रामप्रसाद यादव थाना कन्धरापुर
2. हे०का० पंकज कुमार सिंह थाना कन्धरापुर

## प्रेस नोट

### थाना निजामाबाद

#### अपहरण के अभियोग में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

दिनांक 07.06.22 को वादी हरिकेश वर्मा पुत्र रमेश वर्मा निवासी थाना क्षेत्र निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि उनकी बहन को अभियुक्त मो० राशिद पुत्र स्व० शादाब ग्राम सिधारीगंज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना व भगाने में मो० राशिद के दोस्त सुरज सिंह पुत्र इन्दल सिंह ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के द्वारा साजिश करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.06.2022 को मु०अ०सं० 228/22 धारा 366/120 बी भादवि पंजीकृत किया गया तत्पश्चात् उक्त घटना से छुब्ध व अभियुक्तों से पीड़ित होकर वादी की छोटी बहन करिश्मा द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में वादी हरिकेश की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 229/22 धारा 306 भादवि पंजीकृत कराया गया।

व०उ०नि० शमशाद अली मय हमराह को सूचना दी गई कि थाना पटपड़गंज दिल्ली में अपहृता व अभियुक्त मो० राशिद पुत्र स्व० शादाब को थाने पर बैठाया गया है उक्त सूचना पर व०उ०नि० मय हमराह के द्वारा प्राइवेट वाहन से थाना पटपड़गंज दिल्ली में जाकर वहां से उक्त दोनो को सुपुर्दगी में लेकर वापस आये।

उ०नि० अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त सुरज सिंह पुत्र इन्दल सिंह ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को फरिहा चौराहे से समय 06.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

#### पंजीकृत अभियोग -

1. मु०अ०सं०- 228/22 धारा 366/120बी भादवि, थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 229/22 धारा 306 भादवि, थाना निजामाबाद आजमगढ़

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. मो० राशिद पुत्र स्व० शादाब ग्राम सिधारीगंज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मो० राशिद दोस्त सुरज सिंह पुत्र पुत्र इन्दल सिंह ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

#### बरामदगी- अपहृता

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व०उ०नि० शमशाद अली थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. का० सत्यम सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. का० विरेन्द्र सरोज थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. म०का० नेहा गुप्ता थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. उ०नि० अशोक दत्त त्रिपाठी थाना निजामाबाद आजमगढ़
6. का० राहुल सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़
7. का० सुशील कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़

## प्रेस-विज्ञप्ति

### थाना रौनापार

#### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी श्री मोती यादव पुत्र स्व० बुध्धू यादव निवासी सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी द्वारा मछली मारने के विवाद को लेकर घर में घुसकर उनके लडके विरेन्द्र को लाठी डण्डे से जान से मारने की नियत से मारना पीटना जिससे सर में काफी चोट लग जाना व जाते समय उनकी मो०सा० संख्या UP 50 BJ 4610 को क्षतिग्रस्त कर देना व बचाने गये रविन्द्र यादव को मारने पीटने के सम्बन्ध में दिया जिसके आधार पर, थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 200/22 धारा 307/323/452/427 भादवि बनाम (1) रामअशीष यादव पुत्र बुधिराम यादव सा० सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 10.06.2022 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे नामजद अभियुक्त रामअशीष यादव पुत्र बुधिराम यादव सा0 सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम सिवान से समय करीब 06.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 200/22 धारा 307/323/452/427 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- रामअशीष यादव पुत्र बुधिराम यादव सा सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़। 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उश्री शंकर कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0नि0
3. कासत्येन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0